[2021] 4 उम. नि. प. 131

श्रीपति सिंह (मृत) अपने पुत्र गौरव सिंह की मार्फत

बनाम

झारखंड राज्य और एक अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 1269-1270]

28 अक्तूबर, 2021

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 2घ और 245 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420] – परिवाद – संधार्यता – अपीलार्थी-परिवादी द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी को कारबार संव्यवहार के लिए रकम उधार दिया जाना – पक्षकारों के बीच एक उधार-करार निष्पादित किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा उधार की रकम के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में चैक जारी किया जाना – प्रतिसंदाय के लिए नियत समय के पश्चात् चैक जमा करने पर अनादृत हो जाना – परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम के साथ-साथ दंड संहिता की धारा 420 के अधीन छल करने का अपराध करने के लिए परिवाद फाइल किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाना और अभियुक्त द्वारा उन्मोचन के लिए फाइल किए गए आवेदन को खारिज किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की याचिका को मंजूर किया जाना – चैक के मात्र अनादृत हो जाने से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि अभियुक्त का आशय जान-बूझकर परिवादी के साथ छल करना था चूंकि रकम प्राप्त करने के समय पर अभियुक्त की आपराधिक मन:स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है इसलिए छल का अपराध नहीं बनता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 2घ और 245 [सपठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138] – परिवाद – संधार्यता – अपीलार्थी-परिवादी द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी को कारबार

संव्यवहार के लिए रकम उधार दिया जाना – पक्षकारों के बीच एक उधार-करार निष्पादित किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा उधार की रकम के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में चैक जारी किया जाना – प्रतिसंदाय के लिए नियत समय के पश्चात् चैक जमा करने पर अनादृत हो जाना – जहां कोई चैक उधार लेने वाले द्वारा उधार/ऋण के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया हो और पक्षकारों के बीच निष्पादित करार में प्रतिसंदाय के लिए नियत समय के पश्चात् उधार की वसूली के लिए ऐसा चैक प्रस्तुत करने पर अनादृत हो जाता है, तो परिवादी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कार्यवाहियां चलाने से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-परिवादी और प्रत्यर्थी (सं. 2) - अभियुक्त एक-दूसरे से परिचित थे । प्रत्यर्थी सं. 2 यह पता चलने पर कि अपीलार्थी कारबार करता है, डाल्टनगंज में उसके पास गया और एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी जिससे कि प्रत्यर्थी सं. 2 इस रकम का अपने कारबार में विनिधान कर सके । चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह आश्वासन दिया था कि यह रकम लौटा दी जाएगी, अपीलार्थी ने उस पर विश्वास किया और अपीलार्थी का यह दावा है कि उसने और राशि उधार दी और जनवरी, 2014 से जुलाई, 2014 के बीच की अवधियों के बीच कुल मिलाकर दो करोड़ रुपए की राशि दी । प्रत्यर्थी सं. 2 को उक्त रकम अपीलार्थी की पुत्री के खाते और अपीलार्थी के खाते से भी स्थानांतरित करके संदत्त की गई थी । उक्त संव्यवहार के लिए, उधार की प्राप्ति की अभिस्वीकृति करते हुए कथित रूप से चार करार किए गए । प्रत्यर्थी सं. 2 ने आश्वस्त किया था कि यह रकम जून/जुलाई, 2015 के दौरान लौटा दी जाएगी, इसलिए एक करोड़ रुपए की राशि के तीन चैक अपीलार्थी को सौंपे गए थे । उसके पश्चात्, एक करोड़ रुपए के तीन और चैक भी दिए गए थे । अपीलार्थी कथित रूप से जुलाई, 2015 के दौरान प्रत्यर्थी सं. 2 से मिला था तब प्रत्यर्थी सं. 2 ने आश्वासन दिया कि रकम का अक्तूबर, 2015 के दौरान प्रतिदाय किया जाएगा । ऐसे आश्वासन के आधार पर अपीलार्थी ने तारीख 20 अक्तूबर,

2015 को चैक वसूली के लिए प्रस्तुत किया । उक्त चैक प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी सं. 2 के बैंक खाते में 'अपर्याप्त निधियों' के कारण लौटा दिया गया । इसलिए अपीलार्थी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन यथा अनुध्यात एक विधिक सूचना जारी की । चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने इस आश्वासन के आधार पर धन लिया था कि इसे लौटा दिया जाएगा किंतु अपीलार्थी के साथ धोखा किया गया था इसलिए अपीलार्थी ने यह अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसके साथ छल किया है और तद्नुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन भी परिवाद फाइल किया गया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने उपसंजात होकर दांडिक कार्यवाहियों से उन्मोचन की ईप्सा करते हुए एक प्रकीर्ण आवेदन फाइल किया, जिसे नामंजूर कर दिया गया । इसी पृष्ठभूमि में प्रत्यर्थी सं. 2 ने उक्त आदेश से व्यथित होने का दावा करते हुए दांडिक प्रकीर्ण याचिकाओं में उच्च न्यायालय को समावेदन किया । उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल की गई याचिकाओं को मंजूर किया गया । अपीलार्थी-परिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष का संबंध है कि इन तथ्यों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय कोई मामला नहीं बन सकता है, यह न्यायालय ऐसे निष्कर्ष से सहमत हैं । यह इस तथ्य के कारण है कि यहां तक कि अपीलार्थी का भी यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी द्वारा उधार दी गई रकम कारबार संव्यवहार के लिए है और पक्षकारों के बीच एक उधार-करार किया गया था । उधार-करार में, प्रतिसंदाय की अवधि पर सहमति हुई थी और प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए चैक जारी किया गया था । निस्संदेह यह सही है कि जब चैक वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए तो वे अनादृत हो गए थे । चैक का मात्र अनादृत हो जाने का अर्थ प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से जान-बूझकर छल करने के आशय के कृत्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता है और इस बाबत आपराधिक

मन:स्थिति का उस बिंदु से पता नहीं लगाया जा सकता है जब रकम प्राप्त की गई थी । प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में, यह उपदर्शित करने के लिए ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध बनता है और इसलिए इस पहलू पर इस न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । (पैरा 11)

किसी वित्तीय संव्यवहार के अनुसरण में प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए किसी चैक को हर परिस्थिति में एक रद्दी कागज़ का टुकड़ा नहीं समझा जा सकता है । 'प्रतिभूति' सही मायने में सुरक्षित करने की दशा है और किसी उधार के लिए दी गई प्रतिभूति ऐसी चीज है जो भुगतान के लिए गिरवी के रूप में दी जाती है । यह ऐसी बाध्यता की पूर्ति को निश्चित करने के लिए दी जाती है, जमा की जाती है या गिरवी की जाती है जिसके लिए संव्यवहार के पक्षकार आबद्ध हैं । यदि किसी संव्यवहार में कोई उधार दिया जाता है और उधार लेने वाला एक विनिर्दिष्ट समयावधि में रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए सहमत होता है और ऐसे प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में चैक जारी करता है, यदि उधार की रकम नियत तारीख से पूर्व किसी अन्य रूप में संदत्त नहीं की जाती है या यदि रकम के संदाय को आस्थगित करने के लिए पक्षकारों के बीच कोई अन्य बात तय नहीं है या करार नहीं है तो चैक, जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है, प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगा और चैक का उपरवाल इसे प्रस्तुत करने का हकदार हो जाएगा । ऐसे प्रस्तुतिकरण पर यदि चैक अनादृत हो जाता है तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और अन्य उपबंधों के अधीन अनुध्यात परिणाम होंगे । जब कोई चैक जारी किया जाता है और किसी रकम के प्रतिसंदाय के लिए अनुबंधित एक समयावधि में प्रतिसंदाय के लिए 'प्रतिभूति' के रूप में समझा जाता है, तो इससे जो कुछ सुनिश्चित होता है वह यह है कि ऐसा चैक जो 'प्रतिभूति' के रूप में जारी किया जाता है उसे प्रतिसंदाय के लिए परिपक्व होने वाले उस ऋण या किस्त के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जिसके लिए ऐसा चैक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता

है । इसके अतिरिक्त, उधार लेने वाले के पास उधार की रकम या ऐसे वित्तीय दायित्व का किसी अन्य रूप में प्रतिसंदाय करने का विकल्प रहेगा और उस रीति में यदि शोध्य और संदेय उधार की रकम का करार पाई गई कालावधि में उन्मोचन कर दिया गया है, तो उसके पश्चात् प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चैक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । अत: उधार का पहले ही उन्मोचन कर देने या किसी परिवर्तित स्थिति के कारण पक्षकारों के बीच ऐसी बात तय होना अत्यावश्यक है कि ऐसा चैक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था । ये केवल वे प्रतिरक्षाएं हैं जो लेखीवाल को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों में उपलब्ध होंगी । इसलिए ऐसा कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है कि कोई चैक जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है उसे चैक के उपरवाल द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो । यदि ऐसा समझा जाए, तो कोई चैक भी एक 'मांग पर वचन पत्र' बनकर रह जाएगा और सभी परिस्थितियों में यह रकम की वसूली के लिए केवल एक सिविल मुकदमेबाजी हो जाएगी जो कि कानून का आशय नहीं है । जब कोई चैक जारी किया जाता है भले ही 'प्रतिभूति' के रूप में, उससे निकलने वाले परिणाम चैक के लेखीवाल को भी ज्ञात होते हैं और ऊपर उल्लिखित परिस्थिति में यदि चैक प्रस्तुत किया जाता है और अनादृत हो जाता है, तो चैक के धारक/उपरवाल के पास वसूली के लिए सिविल कार्यवाहियां आरंभ करने या तथ्यात्मक स्थिति में दंड के लिए दांडिक कार्यवाहियां आरंभ करने का विकल्प होगा किंतु किसी भी स्थिति में लेखीवाल को मुकदमे के विषय में शर्तें लगाने का अधिकार नहीं है । यदि उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए, जिसका पहले ही उल्लेख किया गया है, तो प्रश्नगत उधार-करार के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 ने चैक यद्यपि प्रतिभूति के रूप में जारी किए थे, तो भी वह जून/जुलाई, 2015 के दौरान रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए ही सहमत हुआ था, इसलिए जो चैक प्रतिभूति के रूप में धारित किया गया था उसे वसूली के लिए तारीख 20 अक्तूबर, 2015 को प्रस्तुत किया गया था जो कि उधार की रकम के प्रतिसंदाय के लिए करार पाई गई अवधि के पश्चात् है और उधार पहले ही संदाय के लिए देय हो गया था । अत: प्रथमदृष्ट्या जो

चैक प्रतिभूति के रूप में लिया गया था वह संदाय के लिए परिपक्व हो गया था और अपीलार्थी इसे प्रस्तुत करने का हकदार था । ऐसे चैक का अनादर होने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन अनुध्यात परिणाम प्रत्यर्थी सं. 2 को भुगतने होंगे । जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, यह बात कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी सं. 2 की प्रतिरक्षा हो सकती है, जो कि विचारण का विषय होगा । किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी सं. 2 इस तथ्यात्मक स्थिति में विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान या इस प्रक्रम पर उन्मोचन की ईप्सा के लिए याचिका को नामंजूर करने के संबंध में शिकायत नहीं कर सकता है । ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक और विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में, प्रस्तुत तथ्यों में अपीलार्थी को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए परिवाद को अग्रसर करने के लिए केवल इस तथ्य के कारण नहीं रोका जा सकता है कि प्रस्तुत किए गए और अनादृत हो गए चैकों को प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया दर्शाया गया है, जैसा कि उधार-करार में उपदर्शित किया गया है । हमारी राय में, ऐसी दलील केवल उस स्थिति में उद्भूत होगी जहां ऋण वसूलनीय नहीं बना हो और प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चैक रकम की वसूली के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए परिपक्व नहीं हुआ हो, यदि ऋण के प्रतिसंदाय के लिए सहमत नियत तारीख नहीं आई हो । प्रस्तुत तथ्यों में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार प्रतिसंदाय जून/जुलाई, 2015 के दौरान होना था । अपीलार्थी द्वारा चैक वसूली के लिए तारीख 20 अक्तूबर, 2015 को प्रस्तुत किया गया था । चूंकि उधार-करार के अधीन दी गई सहमति के अनुसार रकम के प्रतिसंदाय की वसूली के लिए चैक प्रस्तुत करने की तारीख परिपक्व हो गई थी और रकम शोध्य और संदेय हो गई थी । अत: यह दलील संधार्य नहीं है कि रकम के शोध्य और संदेय हो जाने के पश्चात् भी चैक को प्रतिभूति के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए । इन पहलुओं से प्रथमदृष्ट्या यह उपदर्शित होता है कि पक्षकारों के बीच एक संव्यवहार हुआ था जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा एक विधिक रूप से वसूलनीय ऋण का दावा किया गया था और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी किया गया चैक प्रस्तुत किया गया था । यह चैक अनादृत हो जाने पर एक सूचना जारी करने और संदाय न किए जाने पर

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दांडिक परिवाद प्रस्तुत करने के लिए वाद हेतुक उद्भूत हो गया था । इसके अतिरिक्त यह प्रतिरक्षा कि क्या प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार उधार का उन्मोचन किया गया था या नहीं और उस परिस्थिति में चैक जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था उसके पश्चात् संदाय के लिए बना नहीं रहा था, यह अधिक से अधिक प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली और विचारण में सिद्ध की जाने वाली प्रतिरक्षा हो सकती है । किसी भी स्थिति में, न्यायालय के लिए यह न तो संज्ञान लेने से इनकार करने या उस रीति में प्रत्यर्थी सं. 2 को उन्मोचन करने का मामला था जिस रीति में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है । अत: यद्यपि प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन एक दांडिक परिवाद संधार्य नहीं है, तो भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद कायम रखने योग्य है और सभी दलीलों और प्रतिरक्षा पर विचारण के दौरान विचार किया जाएगा । (पैरा 16, 17, 18, 19 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	2019 की दांडिक अपील सं. 1382-1383 : **मैसर्स वोम्ब लैबोरेटरी प्राइवेट लि.** बनाम **विजय आहूजा और एक अन्य** ;	7
[2016]	2016 की दांडिक अपील सं. 867 : **साम्पेल्ली सत्यनारायण राव** बनाम **इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि.** ;	7
[2014]	(2014) 12 एस. सी. सी. 539 : **इंडस एयरवेज प्रा. लि.** बनाम **मेग्नम एविएशन प्रा. लि. ;**	14
[2008]	(2008) 7 एस. सी. सी. 137 : **सुधीर कुमार भल्ला** बनाम **जगदीश चंद और अन्य** ।	7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 1269-1270.

2017 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 2635 और 2655 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के तारीख 17 दिसंबर, 2019 के आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एम. सी. धींगरा

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री राज किशोर चौधरी और केशव मूर्ति

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना ने दिया ।

न्या. बोपन्ना – अपीलार्थी 2017 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 2635 और 2017 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 2655 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा तारीख 17 दिसंबर, 2019 को पारित किए गए आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष आया है । उक्त आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त दांडिक प्रकीर्ण याचिकाएं मंजूर कीं और 2015 के परिवाद मामला सं. 1833 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामऊ द्वारा तारीख 4 जुलाई, 2016 और 13 जून, 2019 को पारित किए गए आदेशों को अपास्त कर दिया । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 4 जुलाई, 2016 के आदेश द्वारा इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध अभिकथित अपराध का संज्ञान लिया था । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 13 जून, 2019 के आदेश द्वारा उक्त दांडिक परिवाद में उन्मोचन की ईप्सा करते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल की गई याचिका को नामंजूर कर दिया था ।

2. प्रस्तुत मामले के यथा अभिवाचित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 एक-दूसरे के परिचित हैं क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 2 और अपीलार्थी की पुत्री एक-साथ लंदन में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही थीं । उनके भारत लौटने पर प्रत्यर्थी सं. 2 बंगलौर में रहने लगा था और पूर्ववर्ती जान-पहचान के कारण परिवारों के बीच सौहार्द संबंध बने रहे थे । प्रत्यर्थी सं. 2 यह पता चलने पर कि अपीलार्थी कारबार करता है, डाल्टनगंज में उसके पास गया और एक करोड़ रुपए की वित्तीय

सहायता मांगी जिससे कि प्रत्यर्थी सं. 2 इस रकम का अपने कारबार में विनिधान कर सके । चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह आश्वासन दिया था कि यह रकम लौटा दी जाएगी, अपीलार्थी ने उस पर विश्वास किया और अपीलार्थी का यह दावा है कि उसने और राशि उधार दी और जनवरी, 2014 से जुलाई, 2014 के बीच की अवधियों के बीच कुल मिलाकर दो करोड़ रुपए की राशि दी । प्रत्यर्थी सं. 2 को उक्त रकम अपीलार्थी की पुत्री के खाते और अपीलार्थी के खाते से भी स्थानांतरित करके संदत्त की गई थी । उक्त संव्यवहार के लिए, उधार की प्राप्ति की अभिस्वीकृति करते हुए कथित रूप से चार करार किए गए । उक्त करार गैर-न्यायिक स्टांप पत्रों संख्यांक बी489155, बी489156, बी489157 और बी489159 पर लिखे गए थे ।

3. प्रत्यर्थी सं. 2 ने आश्वस्त किया था कि यह रकम जून/जुलाई, 2015 के दौरान लौटा दी जाएगी, इसलिए एक करोड़ रुपए की राशि के तीन चैक अपीलार्थी को सौंपे गए थे । उसके पश्चात्, एक करोड़ रुपए के तीन और चैक भी दिए गए थे । अपीलार्थी कथित रूप से जुलाई, 2015 के दौरान प्रत्यर्थी सं. 2 से मिला था तब प्रत्यर्थी सं. 2 ने आश्वासन दिया कि रकम का अक्तूबर, 2015 के दौरान प्रतिदाय किया जाएगा । ऐसे आश्वासन के आधार पर अपीलार्थी ने तारीख 20 अक्तूबर, 2015 को चैक वसूली के लिए प्रस्तुत किया । उक्त चैक प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी सं. 2 के बैंक खाते में 'अपर्याप्त निधियों' के कारण लौटा दिया गया । इसलिए अपीलार्थी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन यथा अनुध्यात एक विधिक सूचना जारी की । चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने इस आश्वासन के आधार पर धन लिया था कि इसे लौटा दिया जाएगा किंतु अपीलार्थी के साथ धोखा किया गया था इसलिए अपीलार्थी ने यह अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसके साथ छल किया है और तद्नुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन भी परिवाद फाइल किया गया । अपीलार्थी ने स्वयं के और साक्षियों के शपथ पर कथन प्रस्तुत किए । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 4 जुलाई, 2016 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया और प्रत्यर्थी सं. 2 को समन जारी किए ।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 ने उपसंजात होकर दांडिक कार्यवाहियों से उन्मोचन की ईप्सा करते हुए एक प्रकीर्ण आवेदन फाइल किया, जिसे तारीख 13 जून, 2019 के आदेश द्वारा नामंजूर कर दिया गया । इसी पृष्ठभूमि में प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 4 जुलाई, 2016 और 13 जून, 2019 के आदेश द्वारा व्यथित होने का दावा करते हुए उक्त दांडिक प्रकीर्ण याचिकाओं में उच्च न्यायालय को समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल की गई याचिकाओं को मंजूर किया । इसलिए अपीलार्थी व्यथित होने का दावा करते हुए इन अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष आया है ।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. सी. धींगरा, प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री राज किशोर चौधरी, प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री केशव मूर्ति को सुना और अपील के कागजातों का परिशीलन किया ।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी के परिवार के साथ जान-पहचान का फायदा उठाते हुए रकम उधार ली थी जिसका प्रतिदाय किया जाना था और जारी किया गया चैक उक्त रकम के उन्मोचन के लिए था । उक्त परिस्थितियों में, जब जारी किया गया चैक विधिक रूप से वसूलनीय ऋण के उन्मोचन के लिए था और यह अनादृत हो गया था, तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के उपबंध लागू हो जाते हैं । अतः अपीलार्थी द्वारा फाइल किया गया परिवाद विधि के अनुसार है । विद्वान् काउंसेल की यह भी दलील है कि प्रस्तुत मामले में चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी की पुत्री के साथ जान-पहचान के कारण उसके विश्वास का फायदा उठाया था और उस परिस्थिति में जब जो रकम पहले ली गई थी, उनका प्रतिदाय कर दिया गया था जिससे कि उसके विश्वास को जीता जा सके और भारी भरकम प्राप्त करने के पश्चात् उस प्रक्रम पर संदाय के आश्वासन के लिए चैक जारी करने के बावजूद बैंक में पर्याप्त निधियों के लिए प्रबंध नहीं किया गया था इसलिए यह प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा षड्यंत्र करके अपीलार्थी के साथ छल करने की कोटि में आएगा और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा

420 लागू होगी । यह दलील दी गई कि प्राप्त की गई रकम के लिए, उधार-करार पर हस्ताक्षर करके इसकी अभिस्वीकृति की गई थी । इसके अतिरिक्त, जब इस रकम के प्रतिदाय का वचन दिया गया था, ऐसे विधिक रूप से वसूलनीय ऋण के उन्मोचन के लिए चैक जारी किया गया था और ऋण के प्रतिसंदाय के लिए सहमत नियत तारीख के पश्चात् चैक प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गया था, तो इससे अपराध का गठन होता है । इस संबंध में यह दलील दी गई कि विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद और अपीलार्थी तथा उसके साक्षियों द्वारा अभिलिखित शपथ पर के कथनों पर विचार करने के पश्चात् संज्ञान लिया था और समन जारी किए थे । ऐसी स्थिति में, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के लिए और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उन्मोचन के लिए फाइल किए गए आवेदन को नामंजूर करने के लिए पारित किया गया आदेश विधि के अनुसार था । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कारित की थी कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी किया गया चैक 'प्रतिभूति' के लिए था और इसे विधिक रूप से वसूलनीय ऋण के लिए जारी किए गए चैक के रूप में नहीं समझा जा सकता था । यह दलील दी गई कि विद्वान् न्यायाधीश ने विषयांतर कार्यवाही की थी और गलती कारित की थी और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में हस्तक्षेप करना आवश्यक है ।

7. यह दलील देने के लिए कि जारी किया गया चैक उधार के उन्मोचन के लिए था और इसे इसकी वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसका 'प्रतिभूति' के लिए जारी किए गए चैक के रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता है, **साम्पेल्ली सत्यनारायण राव** बनाम **इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि.**[1] और **मैसर्स वोम्ब लैबोरेटरी प्राइवेट लि.** बनाम **विजय आहूजा और एक अन्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया गया । अत: यह

---

[1] 2016 की दांडिक अपील सं. 867.

[2] 2019 की दांडिक अपील सं. 1382-1383.

दलील दी गई कि उच्च न्यायालय के आदेश में अंतर्विष्ट यह मताभिव्यक्ति गलत है कि प्रतिभूति के लिए जारी किए गए चैक पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 लागू नहीं हो सकती है और **सुधीर कुमार भल्ला** बनाम **जगदीश चंद और अन्य**[1] वाले मामले में के विनिश्चय के प्रति उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्देश निराधार है । अत: विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और दांडिक परिवाद को विधि के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए फाइल पर प्रत्यावर्तित किया जाए ।

8. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री केशव मूर्ति ने यह दलील दी कि विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तथ्यात्मक स्थिति पर मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना संज्ञान लिया था और समन जारी किए थे तथा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उन्मोचन की ईप्सा करते हुए प्रस्तुत किए गए पक्षकथन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया था । उन्होंने यह दलील दी कि दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने मामले के संपूर्ण विषय पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 दोनों के अधीन अभिकथित अपराध को सिद्ध नहीं किया गया है । यह दलील दी गई कि दो करोड़ रुपए की राशि का दावा जो परिवाद में किया गया है वह निराधार है । उनका यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को विवादग्रस्त करते हुए एक विस्तृत उत्तर दिया था । यह दलील दी गई कि परिवाद और विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन से ही यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में कोई दांडिक मामला नहीं बनता है । यदि जो मामला परिवाद में प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार किया जाए, तो अधिक से अधिक इस संव्यवहार को कारबार के प्रयोजन के लिए दिए गए उधार के रूप में विचार किया जा सकता है और यदि यह धारणा कर ली जाए कि उक्त रकम का प्रतिदाय नहीं किया गया था, तो इससे केवल सिविल दायित्व उद्भूत होगा और अपीलार्थी उधार की वसूली

---

[1] (2008) 7 एस. सी. सी. 137.

के लिए केवल एक सिविल वाद फाइल कर सकते थे । साक्षियों, विशिष्ट रूप से परिवादी की पुत्री के कथन से पक्षकारों के बीच दीर्घकालीन संबंध होने के साथ-साथ धनीय लेन-देन भी उपदर्शित होता है जिससे किसी भी स्थिति में दांडिक अपराध का गठन नहीं होता है । यह दलील दी गई कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन यथा अभिकथित अपराध संधार्य नहीं हो सकता है । जहां तक प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभिकथित अपराध का संबंध है, यह अपराध भी संधार्य नहीं होगा चूंकि जब स्वयं परिवादी ने उस उधार-करार का अवलंब लिया है जिसमें उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में जारी चैक के प्रतिनिर्देश किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में इन पहलुओं पर विचार किया था और इनके सही परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की थी तथा एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा था, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । अत: उन्होंने यह दलील दी कि उपरोक्त अपीलों को खारिज किया जाए ।

9. परस्पर-विरोधी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, अपील के कागजातों के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का यह पक्षकथन है कि उसने प्रत्यर्थी सं. 2 को दो करोड़ रुपए की भारी-भरकम रकम कारबार के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में दी थी । इस संव्यवहार की प्रकृति के साथ-साथ आरंभ की गई कार्यवाहियों पर भी विचार करते हुए हमारे लिए इस तथ्य का भान रखना आवश्यक है कि पक्षकारों के बीच कार्यवाहियां आरंभिक प्रक्रम पर हैं और पक्षकारों के बीच विवाद के संबंध में निकाले गए किसी निश्चायक निष्कर्ष से उनके मामले पर असर पड़ेगा यदि अंततोगत्वा इस अपील में अपीलार्थी सफल रहते हैं और आगे प्रगति के लिए दांडिक कार्यवाहियां को प्रत्यावर्तित किया जाता है । अत: यहां जिस बात की परीक्षा की जानी आवश्यक है, यह है कि क्या अपीलार्थी ने प्रथमदृष्ट्या उस संव्यवहार को सिद्ध किया है जिसके अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अपीलार्थी को विधिक रूप से वसूलनीय ऋण संदेय है और क्या प्रश्नगत चैक, जिनके संबंध में अपीलार्थी द्वारा परिवाद फाइल किया गया है, इस विधिक रूप से

वसूलनीय ऋण के उन्मोचन के लिए जारी किया गया है । इस संबंध में, इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रश्नगत चैकों पर अभी भी उक्त रकम के लिए 'प्रतिभूति' के रूप में विचार किया जाना चाहिए और क्या इसे विधिक रूप से वसूलनीय ऋण की वसूली के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था । विचार के लिए यह भी प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अपीलार्थी द्वारा फाइल किया गया परिवाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कार्यवाही तक सीमित रहना चाहिए या क्या अंतर्वलित तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का अवलंब लेना भी न्यायोचित है ।

10. उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने परिवाद तथा परिवादी और साक्षियों के शपथ पर कथन को निर्दिष्ट करते हुए संज्ञान लिया था, समन जारी किए थे और परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यथा ईप्सित उन्मोचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने परस्पर-विरोधी दलीलों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला था :–

> "20. पूर्वोक्त तथ्यों और परिवाद के दस्तावेजों से इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि दीर्घकालीन 'कारबार संव्यवहार' और एक उधार का प्रतिदाय करने में असमर्थता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय छल करने के दांडिक अपराध का रंग दिया गया है । आपराधिक मन:स्थिति के साथ न्यास-भंग के परिणामस्वरूप एक दांडिक अभियोजन उद्भूत होता है । इस मामले में जब मैंने परिवादी के आरोप के पहले के साक्ष्य और परिवादी के दस्तावेजों का अनुशीलन किया तो मैंने यह पाया कि पक्षकारों के बीच दीर्घकालीन कारबार संव्यवहार थे । वर्ष 2011 से परिवादी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अभियुक्त को धन उधार दिया गया था और परिवादी के साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के खाते से भी परिवादी की पुत्री के खाते में धन अंतरित किया गया था । साक्ष्य से, मेरा यह निष्कर्ष है कि किसी आपराधिक मन:स्थिति की विद्यमानता का सुझाव देने के लिए

कोई सामग्री नहीं है । इस प्रकार, यह मामला पूर्णरूपेण उधार का प्रतिदाय न करने का मामला बनता है, जो दांडिक कार्यवाही आरंभ करने के लिए आधार नहीं हो सकता है । समिर सहाय **उर्फ** समीर सहाय **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य [(2018) 14 एस. सी. सी. 233] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब पक्षकारों के बीच विवाद उधार ली गई रकम का अपीलार्थी द्वारा प्रतिदाय न करने के कारण संविदा के भंग के परिणामस्वरूप मोटे तौर पर एक सिविल विवाद था, इसलिए इससे छल करने के अपराध का गठन नहीं होगा । इस मामले में भी, मेरा यह निष्कर्ष है कि यह सत्य पक्षकथन है कि उधार ली गई रकम का प्रतिदाय नहीं किया गया था, इसलिए यह मामला छल करने की परिधि के अंतर्गत नहीं आ सकता है, यद्यपि परिवादी ने तात्विक तथ्यों को छिपाकर एक अलग रंग देने की कोशिश की है । अत: मेरा यह निष्कर्ष है कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय कोई मामला नहीं बन सकता है ।

21. इसके अतिरिक्त, मैंने यह पाया है कि यह परिवादी का ही दस्तावेज है जिससे यह दर्शित होता है कि चैक प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे । यदि मैं अभियुक्त के कथन पर विश्वास नहीं भी करूं, तो भी परिवादी के दस्तावेजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है । जैसा कि पहले अभिनिर्धारित किया गया है, जिसका समर्थन **'सुधीर कुमार भल्ला'** (उपर्युक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय द्वारा होता है, प्रतिभूति के रूप में दिए गए चैक से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 को लागू नहीं किया जा सकता है । चूंकि चैक प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे, जो परिवादी के दस्तावेजों से स्पष्ट है (यद्यपि इस तथ्य को भी परिवाद याचिका में छिपाया गया है), इसलिए मेरा यह निष्कर्ष है कि इस मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 भी लागू नहीं होती है ।"

11. उस पृष्ठभूमि में, जिस पर हमारे द्वारा किया गया है और

उच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष का संबंध है कि इन तथ्यों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय कोई मामला नहीं बन सकता है, हम ऐसे निष्कर्ष से सहमत हैं । यह इस तथ्य के कारण है कि यहां तक कि अपीलार्थी का भी यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी द्वारा उधार दी गई रकम कारबार संव्यवहार के लिए है और पक्षकारों के बीच एक उधार-करार किया गया था । उधार-करार में, प्रतिसंदाय की अवधि पर सहमति हुई थी और प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए चैक जारी किया गया था । निस्संदेह यह सही है कि जब चैक वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए तो वे अनादृत हो गए थे । चैक का मात्र अनादृत हो जाने का अर्थ प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से जान-बूझकर छल करने के आशय के कृत्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता है और इस बाबत आपराधिक मन:स्थिति का उस बिंदु से पता नहीं लगाया जा सकता है जब रकम प्राप्त की गई थी । प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में, यह उपदर्शित करने के लिए ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध बनता है और इसलिए इस पहलू पर हमें उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

12. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् और उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, पर भी विचार करने के पश्चात् यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रस्तुत मामला पूर्णरूपेण उधार का प्रतिदाय न करने का मामला बनता है, जो दांडिक कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए आधार नहीं हो सकता है । यह अभिनिर्धारित करने की सीमा तक निष्कर्ष कि इससे छल का अपराध का गठन नहीं होगा, जैसा कि पहले उपदर्शित किया गया है, न्यायोचित है । तथापि, जब स्वयं उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह एक उधार ली गई रकम का प्रतिदाय न करने का मामला है, यह प्रथम पहलू प्रथमदृष्ट्या सिद्ध हो जाता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 2 से एक विधिक रूप से वसूलनीय ऋण देय है । अत: हमें केवल इस प्रश्न पर विचार करने की

आवश्यकता है कि क्या प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से दी गई यह दलील कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध नहीं बनता है चूंकि जिन चैकों का अनादृत हो जाना अभिकथित है, वे चैक 'प्रतिभूति' के रूप में जारी किए गए थे न कि किसी ऋण के उन्मोचन के लिए ।

13. मामले के इस पहलू पर विचार करने के लिए हमने प्रारंभ में तारीख 13 अगस्त, 2014 के चार उधार-करारों पर विचार किया है जो इस मामले की विषय-वस्तु है । प्रत्येक करार के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दिया गया वचन अपीलार्थी को पचास लाख रुपए की राशि का संदाय करने के लिए है । इस प्रकार, इनकी कुल रकम दो करोड़ रुपए है, जैसी कि अपीलार्थी द्वारा दलील दी गई है । प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा संदाय करने के लिए दिया गया वचन, कुल रकम का जून/जुलाई, 2015 के भीतर प्रतिसंदाय करने के लिए है । उधार-करार के पैरा-5 से यह उपदर्शित होता है कि प्रतिभूति के रूप में छह चैक जारी किए गए थे । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के दावे को केवल इस तथ्य के कारण अस्वीकार कर दिया गया है कि करार से यह उपदर्शित होता है कि चैक प्रतिभूति के लिए दिए गए थे और परिवादी ने भी परिवाद में इस तथ्य का उल्लेख किया है । यद्यपि उच्च न्यायालय ने **सुधीर कुमार भल्ला** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए विचार किया था कि प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चैक से किसी अपराध का गठन नहीं हो सकता है, इस विनिश्चय से, न्यायालय की राय में, प्रत्यर्थी सं. 2 को कोई सहायता नहीं मिलती है । उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है कि प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चैक को किसी भी परिस्थिति में वसूली के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । उक्त मामले में के तथ्य जारी किए गए चैकों के संबंध में थे और चैकों में परिवर्तन किए गए थे जिसके लिए चैक के लेखीवाल द्वारा एक प्रति-परिवाद फाइल किया गया था । अत: उक्त विनिश्चय इस मामले में की स्थिति का उत्तर देने के लिए एक पूर्व-निर्णय नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय ने उसका अवलंब लेकर न्यायोचित नहीं किया था ।

14. वास्तव में, **सम्पेल्ली सत्यनारायण राव** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण 2 में यथा अंतर्विष्ट कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व किस बात से गठित होता है, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "10. हमने अपीलार्थी की ओर से दी गई दलील तथा **इंडस एयरवेज** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की मताभिव्यक्तियों पर अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण और अधिनियम की धारा 138 में प्रकट 'किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए' अभिव्यक्ति के प्रतिनिर्देश करते हुए सम्यक् विचार किया है । हमारा यह मत है कि यह प्रश्न कि क्या कोई आगे की तारीख डाला हुआ चैक 'ऋण या दायित्व के उन्मोचन' के लिए है, संव्यवहार की प्रकृति पर निर्भर करता है । यदि चैक की तारीख को दायित्व या ऋण विद्यमान है या रकम विधिक रूप से वसूलनीय हो गई है, तब धारा लागू होती है अन्यथा नहीं ।
>
> 11. प्रस्तुत मामले के तथ्यों के प्रतिनिर्देश से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि यद्यपि 'प्रतिभूति' शब्द करार के खंड 3.1 (iii) में प्रयुक्त किया गया है, तो भी उक्त अभिव्यक्ति चैक किस्तों के प्रतिसंदाय के लिए होने की ओर निर्देश करती है । करार के अधीन प्रतिसंदाय उसी क्षण देय हो जाता है, जिस क्षण उधार दिया जाता है और किस्त देय हो जाती है । यह निर्विवाद है कि उधार सम्यक् रूप से तारीख 28 फरवरी, 2002 को संवितरित किया गया था जो चैकों की तारीख से पूर्व था । जब एक बार उधार संवितरित कर दिया गया था और करार के अनुसार किस्तें चैक की तारीख को देय हो गई थी, ऐसे चैकों का अनादर अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आएगा । निस्संदेह, चैक बकाया दायित्व के द्योतक थे ।

12. **इंडस एयरवेज** (उपर्युक्त) वाले मामले में का निर्णय स्पष्ट रूप से प्रभेदनीय है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 138 के

अधीन करार के भंग के लिए दावे से उद्भूत दायित्व, जो जारी किए गए चैक के अनादर के कारण उद्भूत होता है, किसी उधार संव्यवहार के अधीन अभिस्वीकृत और स्वीकार किए गए ऋण के उन्मोचन के लिए आपराधिक दायित्व के समतुल्य नहीं है । बाद वाले दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किए गए चैक का अनादर स्पष्ट रूप से प्रश्नगत कानून के अंतर्गत आता है । स्वीकृत रूप से, चैक की तारीख को उधार-करार के निबंधनों के अनुसार वर्तमान में, **इंडस एयरवेज** (उपर्युक्त) वाले मामले के मुकाबले, एक ऋण/दायित्व था, जिसमें क्रय आदेश को रद्द कर दिया गया था और क्रय के लिए अग्रिम संदाय के रूप में जारी किया गया चैक अनादृत हो गया था । उस मामले में, यह पाया गया था कि चैक दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी नहीं किया गया था अपितु क्रय आदेश के लिए अग्रिम के रूप में जारी किया गया था जो रद्द कर दिया गया था । इस स्पष्ट किंतु वास्तविक प्रभेद को ध्यान में रखते हुए, उक्त निर्णय वर्तमान प्रकृति के मामले को लागू नहीं हो सकता है जहां चैक उधार की किस्त के प्रतिसंदाय के लिए था जो देय हो गई थी । यद्यपि किस्तों के प्रतिसंदाय के लिए जमा ऐसे चैकों को भी उधार-करार में 'प्रतिभूति' के रूप में वर्णित किया गया था । **इंडस एयरवेज** (उपर्युक्त) वाले मामले के निर्णय को लागू करते हुए, एक क्रय आदेश जो रद्द कर दिया गया है और एक उधार संव्यवहार जहां वास्तव में उधार दिया गया था और चैक की तारीख को इसका प्रतिसंदाय देय है, के बीच के फर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ।

13. अधिनियम की धारा 138 की प्रयोज्यता का अवधारणा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या चैक विद्यमान प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का द्योतक है या क्या यह अस्तित्वशील ऋण या दायित्व के बिना अग्रिम संदाय का द्योतक है । पहले उल्लिखित विभिन्न उच्च न्यायालयों के मतों का अनुमोदन करते हुए यही अंतर्निहित सिद्धांत है जिसे इस न्यायालय

के निर्णय में उक्त मामलों की चर्चा से देखा जा सकता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

इस न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष **इंडस एयरवेज प्रा. लि.** बनाम **मेग्नम एविएशन प्रा. लि.**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को प्रभेदनीय करते हुए निकाला गया था, जो एक ऐसा मामला था जिसमें विवाद्यक जो विचार के लिए उद्भूत हुआ था, एक क्रय आदेश के विरुद्ध अग्रिम संदाय के रूप में जारी आगे की तारीख लिखे हुए चैक के अनादर का था । उस परिस्थिति में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसे विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन के लिए जारी किए गए चैक के रूप में नहीं समझा जा सकता है ।

15. इसके अतिरिक्त, **मैसर्स वोम्ब लैबोरेटरीज प्रा. लि.** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

> "5. न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय ने संपूर्ण विवाद्यक का घालमेल कर दिया था । परिवाद में किए गए प्रकथनों से यह उपदर्शित होता है कि हस्ताक्षरित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को सौंपे गए थे । चैक प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे, यह एक प्रतिरक्षा का मामला है । इसके अतिरिक्त, यह किसी ऋण या किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए नहीं था, यह भी एक प्रतिरक्षा का मामला है । प्रतिरक्षा को स्वीकार करने के लिए सुसंगत तथ्यों को साबित करना होगा कि ऐसी प्रतिभूति को ऋण या अभियुक्त के अन्य दायित्व के रूप में नहीं समझा जा सकता है । यह एक विचारणीय विवाद्यक होगा । हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिभूति के रूप में चैकों का सौंपा जाना स्वयंमेव अभियुक्त को ऐसे चैकों से उद्भूत दायित्व के उन्मोचन से निर्मुक्त नहीं करता है ।
>
> 6. यह मत व्यक्त करना पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय का

---

[1] (2014) 12 एस. सी. सी. 539.

आक्षेपित निर्णय न्यायिक संवीक्षा की कसौटी पर नहीं टिक सकता है । अत: इसे अपास्त किया जाता है ।"

16. किसी वित्तीय संव्यवहार के अनुसरण में प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए किसी चैक को हर परिस्थिति में एक रद्दी कागज़ का टुकड़ा नहीं समझा जा सकता है । 'प्रतिभूति' सही मायने में सुरक्षित करने की दशा है और किसी उधार के लिए दी गई प्रतिभूति ऐसी चीज है जो भुगतान के लिए गिरवी के रूप में दी जाती है । यह ऐसी बाध्यता की पूर्ति को निश्चित करने के लिए दी जाती है, जमा की जाती है या गिरवी की जाती है जिसके लिए संव्यवहार के पक्षकार आबद्ध हैं । यदि किसी संव्यवहार में कोई उधार दिया जाता है और उधार लेने वाला एक विनिर्दिष्ट समयावधि में रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए सहमत होता है और ऐसे प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में चैक जारी करता है, यदि उधार की रकम नियत तारीख से पूर्व किसी अन्य रूप में संदत्त नहीं की जाती है या यदि रकम के संदाय को आस्थगित करने के लिए पक्षकारों के बीच कोई अन्य बात तय नहीं है या करार नहीं है तो चैक, जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है, प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगा और चैक का उपरवाल इसे प्रस्तुत करने का हकदार हो जाएगा । ऐसे प्रस्तुतिकरण पर यदि चैक अनादृत हो जाता है तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और अन्य उपबंधों के अधीन अनुध्यात परिणाम होंगे ।

17. जब कोई चैक जारी किया जाता है और किसी रकम के प्रतिसंदाय के लिए अनुबंधित एक समयावधि में प्रतिसंदाय के लिए 'प्रतिभूति' के रूप में समझा जाता है, तो इससे जो कुछ सुनिश्चित होता है वह यह है कि ऐसा चैक जो 'प्रतिभूति' के रूप में जारी किया जाता है उसे प्रतिसंदाय के लिए परिपक्व होने वाले उस ऋण या किस्त के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जिसके लिए ऐसा चैक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है । इसके अतिरिक्त, उधार लेने वाले के पास उधार की रकम या ऐसे वित्तीय दायित्व का किसी अन्य रूप में प्रतिसंदाय करने का विकल्प रहेगा और उस रीति में यदि शोध्य और संदेय उधार की रकम का करार पाई गई कालावधि में उन्मोचन कर

दिया गया है, तो उसके पश्चात् प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चैक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । अत: उधार का पहले ही उन्मोचन कर देने या किसी परिवर्तित स्थिति के कारण पक्षकारों के बीच ऐसी बात तय होना अत्यावश्यक है कि ऐसा चैक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था । ये केवल वे प्रतिरक्षाएं हैं जो लेखीवाल को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों में उपलब्ध होंगी । इसलिए ऐसा कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है कि कोई चैक जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है उसे चैक के उपरवाल द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो । यदि ऐसा समझा जाए, तो कोई चैक भी एक 'मांग पर वचन पत्र' बनकर रह जाएगा और सभी परिस्थितियों में यह रकम की वसूली के लिए केवल एक सिविल मुकदमेबाजी हो जाएगी जो कि कानून का आशय नहीं है । जब कोई चैक जारी किया जाता है भले ही 'प्रतिभूति' के रूप में, उससे निकलने वाले परिणाम चैक के लेखीवाल को भी ज्ञात होते हैं और ऊपर उल्लिखित परिस्थिति में यदि चैक प्रस्तुत किया जाता है और अनादृत हो जाता है, तो चैक के धारक/उपरवाल के पास वसूली के लिए सिविल कार्यवाहियां आरंभ करने या तथ्यात्मक स्थिति में दंड के लिए दांडिक कार्यवाहियां आरंभ करने का विकल्प होगा किंतु किसी भी स्थिति में लेखीवाल को मुकदमे के विषय में शर्तें लगाने का अधिकार नहीं है ।

18. यदि उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए, जिसका पहले ही उल्लेख किया गया है, तो प्रश्नगत उधार-करार के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 ने चैक यद्यपि प्रतिभूति के रूप में जारी किए थे, तो भी वह जून/जुलाई, 2015 के दौरान रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए ही सहमत हुआ था, इसलिए जो चैक प्रतिभूति के रूप में धारित किया गया था उसे वसूली के लिए तारीख 20 अक्तूबर, 2015 को प्रस्तुत किया गया था जो कि उधार की रकम के प्रतिसंदाय के लिए करार पाई गई अवधि के पश्चात् है और उधार पहले ही संदाय के लिए देय हो गया था । अत: प्रथमदृष्ट्या जो चैक प्रतिभूति के रूप में लिया गया था वह संदाय के लिए परिपक्व हो गया था और अपीलार्थी इसे प्रस्तुत करने का

हकदार था । ऐसे चैक का अनादर होने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन अनुध्यात परिणाम प्रत्यर्थी सं. 2 को भुगतने होंगे । जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, यह बात कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी सं. 2 की प्रतिरक्षा हो सकती है, जो कि विचारण का विषय होगा । किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी सं. 2 इस तथ्यात्मक स्थिति में विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान या इस प्रक्रम पर उन्मोचन की ईप्सा के लिए याचिका को नामंजूर करने के संबंध में शिकायत नहीं कर सकता है ।

19. ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक और विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में, प्रस्तुत तथ्यों में अपीलार्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए परिवाद को अग्रसर करने के लिए केवल इस तथ्य के कारण नहीं रोका जा सकता है कि प्रस्तुत किए गए और अनादृत हो गए चैकों को प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया दर्शाया गया है, जैसा कि उधार-करार में उपदर्शित किया गया है । हमारी राय में, ऐसी दलील केवल उस स्थिति में उद्भूत होगी जहां ऋण वसूलनीय नहीं बना हो और प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चैक रकम की वसूली के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए परिपक्व नहीं हुआ हो, यदि ऋण के प्रतिसंदाय के लिए सहमत नियत तारीख नहीं आई हो । प्रस्तुत तथ्यों में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार प्रतिसंदाय जून/जुलाई, 2015 के दौरान होना था । अपीलार्थी द्वारा चैक वसूली के लिए तारीख 20 अक्तूबर, 2015 को प्रस्तुत किया गया था । चूंकि उधार-करार के अधीन दी गई सहमति के अनुसार रकम के प्रतिसंदाय की वसूली के लिए चैक प्रस्तुत करने की तारीख परिपक्व हो गई थी और रकम शोध्य और संदेय हो गई थी । अत: यह दलील संधार्य नहीं है कि रकम के शोध्य और संदेय हो जाने के पश्चात् भी चैक को प्रतिभूति के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, चैकों के अनादृत हो जाने पर अपीलार्थी ने तारीख 21 नवंबर, 2015 को एक विधिक सूचना जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उल्लेख किया गया था :–

"आपने मेरे मुवक्किल से उधार के लिए अनुरोध किया और

आपकी बात स्वीकार करने के पश्चात् मेरे मुवक्किल ने आपको उधार दिया और उसके प्रति आपने विभिन्न चैक जारी किए जिनका कुल मूल्य एक करोड़ रुपए था और मेरे मुवक्किल को आपके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया था कि आप जून/जुलाई, 2015 के भीतर उधार का भुगतान कर देंगे और उसके पश्चात् मेरे मुवक्किल ने तारीख 26 अक्तूबर, 2015 को सभी चैक संख्यांक 402771, मूल्य 25 लाख, 402770 मूल्य 25 लाख, 402769, मूल्य 50 लाख (कुल एक करोड़ रुपए) एचडीएफसी बैंक में नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किए और ऊपर संख्यांकित चैक 'अपर्याप्त निधि' पृष्ठांकन के साथ लौटा दिए गए । तब मेरे मुवक्किल को यह महसूस हुआ कि आपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है ।"

20. जारी की गई सूचना से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी ने चैक के अनादृत होने के पश्चात् प्रारंभ में ही प्रत्यर्थी सं. 2 को यह सूचित किया था कि वह जून/जुलाई, 2015 तक उधार का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था जिसके पश्चात् अपीलार्थी ने तारीख 26 अक्तूबर, 2015 को चैक नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया था और प्रतिसंदाय के लिए दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया गया था ।

21. उपरोक्त परिस्थिति में, यद्यपि चैक उस समय पर प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था जब उधार दिया गया था, तो भी यह चैक ऋण के प्रतिसंदाय के लिए शोध्य होने के पश्चात् रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए एक आश्वासन के रूप में जारी किया गया था । जब चैक जारी किया गया था, तब उधार अस्तित्व में था और जून/जुलाई, 2015 के दौरान प्रतिसंदेय बन गया था तथा यह करार किया गया था कि प्रतिसंदाय के लिए जारी किया गया चैक उसके पश्चात् प्रस्तुत किया जाएगा । यदि जून/जुलाई, 2015 से पूर्व किसी अन्य रीति में रकम का संदाय नहीं किया गया था, तो प्रत्यर्थी सं. 2 उस चैक का आदर करने के लिए खाते में पर्याप्त अतिशेष का प्रबंध करने के लिए आबद्ध था जो जून/जुलाई, 2015 के पश्चात् प्रस्तुत किया जाना था ।

22. इन पहलुओं से प्रथमदृष्ट्या यह उपदर्शित होता है कि पक्षकारों

के बीच एक संव्यवहार हुआ था जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा एक विधिक रूप से वसूलनीय ऋण का दावा किया गया था और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी किया गया चैक प्रस्तुत किया गया था । यह चैक अनादृत हो जाने पर एक सूचना जारी करने और संदाय न किए जाने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दांडिक परिवाद प्रस्तुत करने के लिए वाद हेतुक उद्भूत हो गया था । इसके अतिरिक्त यह प्रतिरक्षा कि क्या प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार उधार का उन्मोचन किया गया था या नहीं और उस परिस्थिति में चैक जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था उसके पश्चात् संदाय के लिए बना नहीं रहा था, यह अधिक से अधिक प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली और विचारण में सिद्ध की जाने वाली प्रतिरक्षा हो सकती है । किसी भी स्थिति में, न्यायालय के लिए यह न तो संज्ञान लेने से इनकार करने या उस रीति में प्रत्यर्थी सं. 2 को उन्मोचन करने का मामला था जिस रीति में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है । अत: यद्यपि प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन एक दांडिक परिवाद संधार्य नहीं है, तो भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद कायम रखने योग्य है और सभी दलीलों और प्रतिरक्षा पर विचारण के दौरान विचार किया जाएगा ।

23. इस दृष्टि से, 2017 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 2635 और इसके साथ 2017 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 2655 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 17 दिसंबर, 2019 को पारित किए गए आदेश अपास्त किए जाते हैं । परिणामत:, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 4 जुलाई, 2016 और 13 जून, 2019 को पारित किए गए आदेश प्रत्यावर्तित किए जाते हैं । 2015 का दांडिक मामला परिवाद सं. 1839 और 2015 का दांडिक मामला परिवाद सं. 1833 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद तक सीमित रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की फाइल पर इन पर विधि के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए प्रत्यावर्तित किए जाते हैं ।

24. पक्षकार गुणागुण के आधार पर सभी दलीलें देने के लिए

स्वतंत्र हैं । हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसमें अंतर्विष्ट किसी भी मताभिव्यक्ति का मुख्य विचारण से कोई सरोकार नहीं होगा । विचारण न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा ।

25. ये अपीलें खर्चे के बारे में किसी आदेश के बिना भागत: मंजूर की जाती हैं ।

26. लंबित आवेदन, यदि कोई है, का भी निपटारा हो जाएगा ।

अपीलें भागत: मंजूर की गईं ।

जस.